



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
Guru Jambheshwar University, Moradabad
(A State University of Government of Uttar Pradesh)
Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

पत्रांक: गु0 ज0 वि0 वि0/कु0का0/2025/3153

दिनांक: 12.12.2025

अति आवश्यक-शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

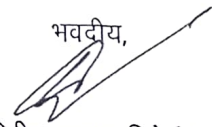
प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
(राजकीय, अनुदानित, स्ववित्तपोषित)
गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।

विषय-महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0-2013के अनुपालनार्थ मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में योजित M.A.N0. 1688/2023 Civil Appeal N0-2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक: डिग्री विकास/2289/2025-26 दिनांक 26.11.2025 व डिग्री विकास/2218/2025-26 दिनांक 18.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ संलग्न निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1090-91/निदे0म0क0/अनु0/सिविल अपील-2482/2014/2024-25 दिनांक 20 अगस्त, 2025 के क्रम में संलग्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि इस कार्य को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि मॉगी गयी सूचनायें ई-मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गिरीश कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव

संलग्नक: यथोपित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति।
2. अध्यक्ष आई.सी.सी. समिति विश्वविद्यालय।
3. नोडल अधिकारी (मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल, अमरोहा, विजनौर)।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
5. वैय0 सहायक, कुलसचिव।
6. गार्ड फाइल।


कुलसचिव

State of Uttar pradesh

Sr.No	Particulars	Amount
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

Information to be Furnished

- | | |
|---|--|
| 1 | As per the Survey Conducted by the District Officers, there are a total _____ public and private establishments having 10 or more than 10 employees are functioning in the State of uttar pradesh ----- public and ----- private establishments] |
| 2 | Total _____ internal complaint committees have been constituted out of which ----- are in public and ----- are in private establishments. |
| 3 | There are a total _____ establishments that remain to constitute Internal Complaint Committees. |
| 4 | District Officer, _____ has imposed penalty of Rs. _____ on _____ as per section 26 of POSH Act. |

Information furnished through District Survey:-

[illegible]

5

30
26/11/25

प्रेषक,

अतिमहत्वपूर्ण / अनुस्मारक / ई-मेल / समयबद्ध

निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2-कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

3-सचिव,
शिक्षा सेवा चयन आयोग,
प्रयागराज।

पत्रांक-डिग्री विकास/2289/2025-26

दिनांक 26.11/2025

विषय-महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिक्रिया) अधि०-2013 के अनुपालनार्थ मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित **M.A. No.1688/2023 Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others** में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक : डिग्री विकास/2218/2025-26 दिनांक : 18.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1090-91/निदे०म०क०/अनु०/सिविल अपील-2482/2014/2024-25 दिनांक 20 अगस्त, 2025 के क्रम में संलग्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अद्यतन अप्राप्त है।

प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश का अनुस्मारक पत्र संख्या-1817-19/निदे०म०क०/अनु०/सिविल अपील-2482/2014/2024-25 दिनांक 13 नवम्बर, 2025 भी इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

उक्त के संबंध में आपसे पुनः अनुरोध है कि इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक : 18.11.2025 द्वारा मांगी गयी सूचना ई-मेल आई०डी०-dhedegreevikas@gmail.com पर 02 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

डॉ०(शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०शि०)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ०प्र० प्रयागराज।

पृष्ठांकन-डिग्री विकास/2289-92/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि: 1- विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2-निदेशक, महिला कल्याण उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

3-अपर सचिव राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त कर समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

डॉ०(शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०शि०)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ०प्र० प्रयागराज।